

जैव हथियारों पर रूस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से भारत अनुपस्थिति

प्रलिस के लिये:

जैविक हथियार सम्मेलन, जनिवा प्रोटोकॉल 1925, संयुक्त राष्ट्र संकल्प, रूस-यूक्रेन संघर्ष, सामूहिक वनिश के हथियार (WMD) ।

मेन्स के लिये:

रूस-यूक्रेन संकट पर भारत का रुख, जैविक हथियार सम्मेलन- वशिषताएँ और इसका महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

भारत, रूस द्वारा प्रस्तावित [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव](#) से अनुपस्थिति रहा जिसमें अमेरिका और यूक्रेन पर [जैविक हथियार सम्मेलन \(BWC\)](#) का उल्लंघन करने के लिये ["सैन्य जैविक गतिविधियों"](#) को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है ।

- इस प्रस्ताव से पहले भारत हाल ही में UNSC के एक अन्य प्रस्ताव से अनुपस्थिति रहा, जिसमें रूस के चार यूक्रेनी कषेत्रों के कब्जे को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी ।

जैविक हथियार सम्मेलन:

परचिय:

- जैविक हथियार सूक्ष्मजीवविज्ञानी एजेंटों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक) या वषिकृत पदार्थों का उपयोग जान-बूझकर मनुष्यों, जानवरों या पौधों की मौत या उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिये किया जाता है ।

जैविक हथियार अभसिमय:

परचिय:

- औपचारिक रूप से "बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और वषिकृत हथियारों के वकिस, उत्पादन तथा भंडारण एवं उनके वनिश के नषिध पर अभसिमय" के रूप में जाना जाता है, अभसिमय पर जनिवा, स्विट्जरलैंड में नरिसत्त्रीकरण समर्ति के सम्मेलन में वार्ता की गई थी ।
- यह 26 मार्च, 1975 को लागू हुआ ।

दायरा:

- यह जैविक और वषिकृत हथियारों के वकिस, उत्पादन, अधगिरहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतबिधति करता है ।

महत्त्व:

- यह [सामूहिक वनिश के हथियारों \(WMD\)](#) के प्रसार को सीमति करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्त्व है और इसने जैविक हथियारों के खलिफ एक मज़बूत मानदंड स्थापति किया है ।
- WMD की सभी श्रेणियों पर प्रतबिधति लगाने वाली यह पहली बहुपक्षीय नरिसत्त्रीकरण संधि थी ।
- यह वर्ष 1925 के जनिवा प्रोटोकॉल का पूरक है, जिसके द्वारा युद्ध में जैविक (और रासायनिक) हथियारों के उपयोग को प्रतबिधति किया गया था ।
 - लीग ऑफ नेशन के तत्त्वाधान में जनिवा में आयोजति एक सम्मेलन में जनिवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गए थे ।
 - यह वर्ष 1928 में प्रभावी हुआ ।
 - भारत ने इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की है ।

सदस्य:

- 184 भागीदार देशों और चार हस्ताक्षरकर्त्ताओं के साथ इसकी लगभग सार्वभौमिक सदस्यता है ।
- भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है ।

UNGA का प्रस्ताव:

- **परिचय:** संयुक्त राष्ट्र के संकल्प और नरिणय संयुक्त राष्ट्र के अंगों की राय या इच्छा की औपचारिक अभिव्यक्ति हैं।
 - संकल्प की प्रकृति नरिधारित करती है कि क्या इसे राज्यों के लिये बाध्यकारी माना जाता है।
- **UNGA प्रस्ताव:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 10 और 14 में महासभा के प्रस्तावों को "सफारिशें" कहा गया है।
 - **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** द्वारा महासभा के प्रस्तावों की 'सफारिशी प्रकृति' पर बार-बार ज़ोर दिया गया है।
 - हालाँकि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित महासभा के कुछ प्रस्ताव- जैसे कि बिजटिय नरिणय या नमिन-श्रेणी के नकियों को नरिदेश देना, स्पष्ट रूप से बाध्यकारी हैं।
- **UNSC प्रस्ताव:** सामान्य तौर पर चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों को चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी माना जाता है।
 - हालाँकि वे UNSC के स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वीटो के अधीन हैं।

रूस और यूक्रेन से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के पछिले प्रस्तावों पर भारत का रुख:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नमिनलखित प्रस्तावों का बहिष्कार किया:
 - **यूएस-प्रायोजित UNSC प्रस्ताव** जिसने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में नदि की।
 - रूस ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर UNSC के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा, तीव्र, स्वैच्छिक और नरिबाध नकिसी सुनश्चिति करने के लिये बातचीत के ज़रिये संघर्ष वरिम का आह्वान किया गया।
 - यूक्रेन में रूस के कार्यों की जाँच के लिये एक अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद** में प्रस्ताव पारित किया गया।
 - **UNGA का प्रस्ताव**, जिसने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाइयों के लिये उसकी नदि की।
 - इस प्रस्ताव से अनुपस्थित रहने वाले 34 अन्य देश भी थे जिनमें चीन, पाकस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा मध्य एशियाई और कुछ अफ्रीकी देश शामिल थे।
 - **अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** का प्रस्ताव चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और **चेरनोबलि** सहित कई परमाणु अपशष्टि स्थलों पर सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि रूसियों ने उन पर नयितरण कर लिया था।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'ऑस्ट्रेलिया समूह' तथा 'वासेनार व्यवस्था' के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय नरियात नयितरण व्यवस्थाओं में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने का नरिणय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (2011)

1. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य नरियातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं।
2. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

????

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (2015)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

